दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :- 12/5/25

वादी की ओर से श्री अर्जुन सिंह नरूका अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर वाद वादीगण साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा किया जाता है:-

तहसील पीलीबंगा के चक 51000 आर.डी के खाता स. 7/6 की 0.3800 हैक. अनकमाण्ड मे 1/2 हिस्सा, चक 54000 आर.डी के खाता स. 20/17 की 5.2610 हैक. कमाण्ड में 1/2 हिस्सा, चक 3 बी. एच. एम-बी के खाता स. 22/22 की 2.024 हैक. कमाण्ड कृषि भूमि में 1/2 युक्त खात हिस्सा, चक 3 बी. एच. एम-ए के खाता स. 25/25 की 2.454 हैक. कमाण्ड मय गैर मु. खाला कृषि भूमि को वादीगण द्वारा धीनादेवी के हिस्सा का वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रकबा में से धीनादेवी का नाम कलमजन के आदेश पारित किये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 12/05/26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड़ अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा